



# आग्रा विकास प्राधिकरण, आगरा

दिनांक

निविदा सूचना संख्या:- 01 / 2020 21

## अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	वी.ओ.वयू.धनराशि (₹० लाख में)	धरोहर धनराशि (₹० में)	निविदा गुला (₹० में) समर्त करो सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पात्र श्रेणी	अभियान त्रण खण्ड
1	आगरा इनर रिंग रोड (प्रथम चरण) पर वर्षा ऋतु के समय अनुरक्षण का कार्य।	61.31	1,22,700/-	1680/-	06 माह	विशिष्ट श्रेणी	खण्ड-2
2	शास्त्रीपुरम योजना में जलापूर्ति लाइन की लीकेज मरम्मत, मिसिंग लिंक एवं चौक लाइन को बदलने का कार्य।	15.71	31,450/-	1120/-	एक वर्ष	विशिष्ट श्रेणी	खण्ड-4
3	शास्त्रीपुरम योजना के सेक्टर-बी के अन्तर्गत भवन सं0-एल.आई.जी-420 से 427 के समुख पार्क की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का कार्य।	11.16	22,350/-	1120/-	03 माह	डी	

- उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 24.06.2020 को आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 09.06.2020 के अपराह्न 12:30 बजे से 23.06.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्तें एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट [www.adagraha.in](http://www.adagraha.in) पर देखी जा सकती हैं।

### नियम व शर्तें:-

- उक्त कार्यों की निविदायें दिनांक 24.06.2020 को आमंत्रित की जाती हैं, जो कि उसी दिन 12:30 अपराह्न खोली जायेगी।
- निविदा प्रपत्र दिनांक 09.06.2020 के अपराह्न 12:30 बजे से दिनांक 23.06.2020 के अपराह्न 3:00 बजे तक ई-निविदा पोर्टल [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- (क)- वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 540002010106535 (बैंक का नाम/पता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ए.डी.ए.ब्रान्च जयपुर हाउस, आगरा) IFSC CODE UBIN0554006 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साझे के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यूटीआर नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथा की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (ख)- धरोहर धनराशि ए.डी.आर./एन.एस.सी. के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीयत बैंक की एफ.डी.आर अथवा एन.एस.सी के माध्यम से जो कि अधिशासी अभियंता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियंता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मात्र न होगी।
- 4-निविदा अलोड करने से पूर्व निविदा दाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आकलन अवश्य कर ले। समस्त शंकाओं का समाधान सम्बन्धित अधिशासी अभियंता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मात्र न होगा। संशर्त निविदा मात्र न होगे।
- 5-प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।
- 6-विशिष्ट श्रेणी के कार्यों के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य में दक्ष निविदादाता/फर्म द्वारा भाग लिया जा सकता है। इन कार्यों हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की वायद्यता न होगी।
- 7-निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।
- 8-निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08टी.सी-2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परकेरमेन्स गार्सटी अनुबन्ध से पूर्व देय होंगी।
- 9-सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी.एस.टी.एंव अन्य कोई विभाग (जहाँ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 10-पेवर/हॉटमिक्स प्लाण्ट के कार्यों में केवल हाटमिक्स प्लाण्ट धारक ठेकेदार ही भाग ले सकते हैं। प्लाण्ट स्वामित्व का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा विचारायी न होगी।
- 11-सिविल कार्य उम्प्र० लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होंगे।
- 12-निविदा का स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उत्तम, आगरा विकास प्राधिकरण, में निहित होगा, जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेंगी।
- 13-40 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यों में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी।
- 14-निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम हरतानान्तरित की जा सके।
- 15-जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, वह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमत्य न होगे व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

पत्रांक : १६०८८ डी/सी.ई/2020-21  
प्रतिलिपि :-

- उपायक भवोदय को अवलोकनार्थी।
- सचिव/वित्त नियन्त्रक भवोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- अधिशासी अभियन्ता ई-टेक्सिंग/कम्पनी के प्रतिनिधि को इस आशय से प्रेषित कि वह वेबसाइट पर प्रकाशित करायें।
- जनसम्पर्क अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे वेब साइट पर दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायें।
- समस्त अधिभूत अपने से सम्बन्धित कार्य की वी.ओ.वयू.समाचार-पत्र अधिभूत ई-टेक्सिंग को भिजायें।
- नोटिस वॉर्ड पर चस्पा करने हेतु।

दिनांक : - ०५/०६/२०२०

*०५.०६.२०*  
अधीक्षण अभियंता-2

*०५.०६.२०*  
अधीक्षण अभियंता-2